न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 84 / 2017

1. जगदीश सिंह
2. सम्पुर्णसिंह

पिसरान त्रिलोकसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. मेहरूलदीन (फौत) जरिये वारिस :—

1/1 मुख्त्यार मोहम्मद पुत्र
1/2 कालुदीन पुत्र
1/3 नसीर मोहम्मद पुत्र
1/4 परमजीत पुत्री
1/5 रसीद मुहम्मद पुत्र
1/6 नसीरदीन पुत्र
1/7 संजीव मुहम्मद पुत्र
1/8 बशीर मुहम्मद पुत्र
1/9 मुजुरा बीबी पुत्री
1/10 हरमेशा बीबी पुत्री
1/11 फुलन बीबी पुत्री
1/12 उल्फत बीबी पुत्री
1/13 सरोज बीबी पुत्री
1/14 रोजा बीबी पुत्री

मेहरूलदीन निवासी नगरोटा सूरिया जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।

2. स्टेट आफ राजस्थान। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 29.02.2016

उपस्थितिः—

श्री जरनैलसिंह टुरना अभिभाषक अपीलार्थी ।
श्री जितेन्द्र सरपाल अभिभाषक रेस्पो
श्री इकबालसिंह सिद्धू . राजकीय अधिवक्ता

13/3/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 13.03.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा बतौर पौंग बांध विस्थापित मेहरूलदीन आदि को चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं. 87/343 की 6.200 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व पिता त्रिलोक को उक्त भूमि का आवंटन बतौर पौंग बांध विस्थापित किया गया था किन्तु उक्त आवंटन किन्हीं तकनीकि कारणों से खारिज कर दिया लेकिन विवादित भूमि पर त्रिलोक सिंह के वारिसों का कब्जा चला आ रहा है जिसके लिए अपीलांट ने जिला कलक्टर के समक्ष प्रा.पत्र पेश किया जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को निर्देशित किया कि अपीलांट को नियमानुसार आवंटन किया जावे जिस पर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा दिनांक 09.06.2015 को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया, बाद में दिनांक 29.02.2016 को विवादित भूमि का आवंटन जरिये लॉटरी रेस्पों. को कर दिया। रेस्पों. को आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में रेस्पों. को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का आवंटन माननीय उच्च न्यायालय तक खारिज हो चुका है। अपीलांट ने गलत तथ्य पेश कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। रेस्पों. पौंग बांध विस्थापित है एवं उनकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार आवंटन किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

13/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 09.06.2015 को आवंटित कृषि भूमि का आवंटन बहाल आदेश निरस्त किये बगैर दिनांक 12.02.16 को भूमि रेस्पों. को आवंटित की है जो खारिज योग्य होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली बहस पर नियत होने से पूर्व अभिभाषक रेस्पों. द्वारा तीन प्रा.पत्र पेश किये कमशः दिनांक 22.12.17 व दो प्रा.पत्र दिनांक 01.02.2018 को पेश किये जिसका जबाब अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश किये गये। अभिभाषक रेस्पों. द्वारा पहले प्रा.पत्रों को निस्तारित करने का निवेदन किया परन्तु अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया।

अपील की मैरिट्स पर निर्णय से पूर्व अभिभाषक रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र निम्नानुसार निर्णित किये जाते हैं:-

1. प्रा.पत्र दिनांक 22.12.2017 रेस्पों. सं. 1/8 बशीर मोहम्मद का देहान्त दिनांक 03.10.2017 को हो चुका है। परन्तु अपीलांट द्वारा 90 दिन की समयावधि में बशीर मोहम्मद के कायम मुकाम प्रतिस्थापित नहीं किये। अतः अपील अबेट करने का अनुरोध किया जिसका जबाब अभिभाषक अपीलांट ने दिया कि बशीर मोहम्मद के साथ अन्य रेस्पों. की पैरवी की जा रही है तथा बशीर मोहम्मद का नाम delete कर अपील गुणावगुण के आधार पर करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर रेस्पों. का प्रा.पत्र दिनांक 22.12.2017 खारिज किया जाता है।
2. प्रा.पत्र दिनांक 01.02.2018 अभिभाषक रेस्पों. द्वारा पेश किया कि रेस्पों. को आवंटित भूमि स्वयं आवंटन अधिकारी द्वारा स्वयं आवंटन को स्थगित कर दिया। अतः अपील खारिज योग्य है। अतः अन्य बिन्दु अपीलांट के आवंटन विधि सम्मत नहीं होना दर्शाया है का पैरावार जबाब अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिया गया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से आवंटन अधिकारी का स्थगन अपील के निर्णय में विवेचन योग्य होकर अन्य

15/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुतोष प्रा.पत्र के बजाय अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.06.2015 की अपील में ही विवेचन योग्य है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जाता है।

3. प्रा.पत्र दिनांक 01.02.2018 रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र में अपीलांट का आवंटन बहाली का प्रा.पत्र दिनांक 29.12.2015 को खारिज किया है। माननीय उच्च न्यायालय में भी अपीलांट की याचिका खारिज हो चुकी है फिर भी दिनांक 09.06.2015 को अपीलांट का आवंटन बहाल किया है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया जिसका जबाब अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिया कि रेस्पों. द्वारा इस प्रा.पत्र में उठायी कानूनी आपत्तियों का परीक्षण आवंटन बहाली के आदेश दिनांक 09.06.2015 से पूर्व जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को जारी आदेश कमांक एफ(12)(2)राजस्व/15/8328 दिनांक 30.01.2015 में किया गया है जिसका पठन है कि विषयः– प्रा.पत्र जगदीश सिंह, सम्पूर्णसिंह, कश्मीरादेवी, जंगीरों देवी, शान्ति देवी पि0 त्रिलोकसिंह चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं. 87/343 बहाल करने।, प्रसंगः– आपका पत्रांक 706 दिनांक 06.08.2015।, उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासांगिक पत्र से प्राप्त रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली के अनुसार पोंग बांध विस्थापित त्रिलोक सिंह पुत्र नत्थासिंह को दिनांक 16.08.66 को चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं. 87/343 के 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन हुआ। आवंटी का आवंटन नियम उल्लघंन में दिनांक 05.07.74 को निरस्त हुआ। आवंटित भूमि पर पो.बा.वि. त्रिलोकसिंह के वारिसान काबिज है। उक्त भूमि का बहाल करवाने के लिए त्रिलोचनसिंह उर्फ त्रिलोकसिंह ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2003 को खारिज की गई। आवंटी के वारिसान जगदीश सिंह आदि ने उक्त भूमि का आवंटन बहाल किये जाने का निवेदन किया है। पो.बा.वि. त्रिलोकसिंह का आवंटन तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है जिसके कारण उनको भूमि दी जानी है। आप द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में आवंटित भूमि अभी भी त्रिलोक सिंह के जायज वारिसान के कब्जा काश्त में है। पो.बा.वि.

13/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

त्रिलोकसिंह को आंवटित भूमि का आवंटन नियम उल्लघंन के कारण खारिज हुआ है। राज.उपनि.(इ.गा.न.प. क्षेत्र में पो.बा.वि. और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आवंटन और विकय नियम) नियम 1972 के नियम 7 में केवल किश्तों के अभाव में खारिज भूमि को बहाली का प्रावधान किया गया है। विचाराधीन प्रकरण में भूमि का आवंटन नियम उल्लघंन में किया गया। इसलिए भूमि का आवंटन बहाल नहीं किया जा सकता। चुंकि पो.बा.वि. त्रिलोकसिंह को पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर अन्य भूमि दी जानी है और पूर्व में आवंटित भूमि उनके जायज वारिसान के कब्जा काश्त में ही है। ऐसी स्थिति में त्रिलोक सिंह के वारिसान को उक्त चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं. 87/343 के 25 बीघा कमाण्ड भूमि का नवीन आवंटन किया जाना उचित होगा। अतः पो.बा.वि. त्रिलोक सिंह पुत्र नत्था सिंह को पूर्व में आवंटित चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं. 87/343 के 25 बीघा कमाण्ड भूमि जो नियम उल्लघंन खारिज हो गई थी और उनकी मृत्यु उपरांत उनके जायज वारिसान के कब्जा काश्त में है जिसका आवंटन वर्तमान नियमों में बहाल नहीं किया जा सकता। चुंकि पूर्व में आवंटित भूमि पो.बा.वि. के जायज वारिसान के कब्जा काश्त में है। इसलिए आप उक्त चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं. 87/343 के 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन त्रिलोकसिंह के समस्त वारिसान के पक्ष में राज.उपनि.(इ.गा.न.प. क्षेत्र में पो.बा.वि. और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आवंटन और विकय नियम) नियम 1972 के तहत पात्रता का परीक्षण करते हुए नियमानुसार भूमि का आवंटन कर इस कार्यालय को सूचित करें। आपके प्रासंगिक पत्र से कार्यालय को प्रेषित मिसल नं. 74/66 निर्णय दिनांक 16.08.66 पेज–6 व मि.नं. 73/74 निर्णय दिनांक 23.05.74 कुल पेज 9 संलग्न कर प्रेषित है तथा यही निर्देश आवंटन बहाली के आदेश के पश्चात जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.02.2016 में जारी किये जिसका text है कि विषयः– प्रा.पत्र जगदीश सिंह, सम्पूर्णसिंह, कश्मीरादेवी, जंगीरों देवी, शान्ति देवी पि0 त्रिलोकसिंह चक 3 एफ.डी.एम. के मु.नं.

18/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

87/343 बहाल करने।. प्रसंगः– आपका पत्रांक 1293 दिनांक 04.01.20165।. उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के संलग्न पारित निर्णय का आपके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2015 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता को चक 3 एफडीएम के मु.नं. 87/343 में आवंटित 25 बीघा भूमि का आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटन शर्तों का उल्लघंन करने के कारण, खारिज होने के कारण इतने लम्बे समय बाद बहाल करना उचित नहीं मानते हुए निस्तारण किया गया है। कार्यालय से प्रसारित पत्रांक 8328 दिनांक 30.10.2015 का अवलोकन फरमावें। कार्यालय से प्रस्तावित आदेश से आपको स्पष्ट किया गया था कि पो.बा.वि. त्रिलोकसिंह को आवंटित भूमि का आवंटन तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था। इसलिए उनको भूमि दी जानी है। चुंकि उनको पूर्व में आवंटित भूमि उन्हीं के वारिसान के कब्जा काश्त में है। ऐसी स्थिति में उनके वारिसान को उक्त 3 एफडीएम के मु.नं. 87/343 में आवंटित 25 बीघा भूमि का नवीन आवंटन राज.उपनि.(इ.गा.न.प. क्षेत्र में पो.बा.वि. और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आवंटन और विकय नियम) नियम 1972 के तहत पात्रता का परीक्षण करते हुए नियमानुसार आवंटन करने के लिए लिखा गया था लेकिन आपके द्वारा प्रार्थीगण को बहाली का पात्र नहीं मानते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो उचित नहीं है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय के पूर्व आदेश 8328 दिनांक 30.10.2015 के कम में पो.बा.वि. त्रिलोक सिंह पुत्र नत्था सिंह को पूर्व में आवंटित चक 3 एफडीएम के मु.नं. 87/343 के 25 बीघा कमाण्ड भूमि जो नियम उल्लघंन खारिज हो गई थी और उनकी मृत्यु उपरान्त उनके जायज वारिसान के कब्जा काश्त में है जिसका आवंटन वर्तमान नियमों में बहाल नहीं किया जा सकता है। चुंकि पूर्व में आवंटित भूमि पो.बा.वि. के जायज वारिसान के कब्जा काश्त में है इसलिए आप उक्त चक 3 एफडीएम के मु.नं. 87/343 के 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन त्रिलोकसिंह के समस्त वारिसान के पक्ष में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.

13/3/16

अपील प्राधिकारी
(राज.)

क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आवंटन और विकल नियम) नियम 1972 के तहत पात्रता का परीक्षण करते हुए नियमानुसार भूमि का तत्काल आवंटन कर इस कार्यालय को सूचित करें।

अतः उपरोक्त शासकीय पत्रों के परिप्रेक्ष्य में रेस्पों. की आपत्तियां खारिज योग्य एवं प्रा.पत्र खारिज योग्य होना जाहिर किया जिससे सहमत होकर सन्दर्भ प्रा.पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलांट जगदीश व सम्पूर्णसिंह पोंग बांध निर्माण के विस्थापित त्रिलोकसिंह के पुत्र है जिन्होंने अपील मीमों के साथ फार्म नं. 3 के साथ पेश आदेश दिनांक 09.06.2015 द्वारा अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने आदेश कमांक/आवंटन/2015/478–479 दिनांक 09.06.2015 द्वारा विवादित भूमि का आवंटन किया। आवंटन आदेश की इबारत है कि बतौर पो.बा.वि. त्रिलोकसिंह पुत्र नत्थासिंह साकिन खानपुर का बतौर पो.बा.वि. आवंटित भूमि चक 3 एफडीएम के मु.नं. 87/343 का 25 बीघा कमाण्ड रकबा आवंटन संशोधित नियम 7क के तहत बहाल किया जाता है। अतः राज.उपनि.(इ.गा.न.प. क्षेत्र में पो.बा.वि. और उनके अन्तरितियों को सरकारी भूमि का आवंटन और विकय नियम) नियम 1972 में शासन उप सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर की अधिसूचना कमांक / एफ–4(4)कोल/99/जयपुर दिनांक 27.02.2001 के अनुसार आवंटिती/वारिसान द्वारा नियम 7क के तहत किश्त की रकम पर इसकी नियत तारीख से इसके संदाय करने तक 18 प्रतिशत वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रतिकर के रूप में व्यक्तिक्रम की तारीख से 6 प्रतिशत की दर से और ब्याज का संदाय जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में आवंटी/वारिसान के नाम से बहाली का अमल दरामद किया जावे।

पत्रावली पर उक्त तथ्यों के अनुसार इस आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती देना प्रतीत नहीं होता है और न ही किसी न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय को न तो संशोधित किया और न परिवर्तित किया और न ही अपास्त किया गया अर्थात यह आदेश यथावत रहते हुए विवादित भूमि खाली न होकर आवंटन

18/4/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के लिए उपलब्ध नहीं थी फिर भी अधी. न्यायालय द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में एक ही दिन 29.02.2016 को 2 अलग–अलग आदेश पारित किये हैं, प्रथम आदेश में भूमि रेस्पों. को आवंटित की गई है द्वितीय आदेश में आवंटन स्थगित किया गया है। सिलसिलेवार सन्दर्भ फर्दकाम है कि इस आवंटन की पत्रावली को अधी. न्यायालय द्वारा suo-moto open कर रेस्पों. को नोटिस जारी किया गया जिसकी सन्दर्भ आदेशिका दिनांक 17.04.2015 में लिखा है कि यह पत्रावली जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र कमांक 2120–22 दिनांक 10.04.2015 के संलग्न प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। जिला कलक्टर गंगानगर ने प्रकरण में पो.बा.वि. को राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों को सरकारी भूमि का आवंटन और विक्रय) नियम 1972 के तहत इस उपखण्ड में नियमानुसार भूमि आवंटन किये जाने हेतु पत्रावली प्रेषित की है। प्रार्थी को नोटिस जारी किया जावे तथा प्रति उपायुक्त(राहत एवं पुनर्वास) राजा का तालाब नुरपुर(हि.प्र.) को प्रेषित की जावे। पत्रावली दिनांक 12.05.2015 को पेश हो। इस आदेशिका की पालना में रेस्पों. द्वारा आवंटन का प्रा.पत्र पेश किया जो निम्नानुसार है सेवा में, आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, गंगानगर, विषयः– पोंग बांध विस्थापितों को भूमि आवंटन करने बाबत।, महोदयवर, आपके नोटिस कमांक/पो.बा.वि./11/15/12.05.2015/347 दिनांक 24.04.2015 के सन्दर्भ में, श्रीमान जी निवेदन है कि मेरे पिता मेहरउलदीन पुत्र फकीर मोहम्मद साकिन नगरोटा सूरियां तह0 ज्वाली जिला कांगडा की मृत्यु हो चुकी है। अतः उनको सूरतगढ में मुरब्बा (भूमि) आवंटन के लिए नोटिस आया है कि आप से प्रार्थना है कि आप हम वारिसान को भूमि सूरतगढ में आवंटन करने की कृपा करें। नोटिस के मुताबिक सभी प्रकार के दस्तावेज साथ में संलग्न किये जाते हैं। आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद सहित प्रार्थी मुख्त्यार मोहम्मद पुत्र मेहरउलदीन पुत्र फकीर मोहम्मद गांव व डाक0 नगरोटा सूरियां तह0 ज्वाली जिला कांगडा हि.प्र.। इसी प्रा.पत्र के आधार पर अधी.न्यायालय द्वारा रेस्पों. को आवंटन किया एवं उसी दिन इसे स्थगित भी कर दिया जबकि नियमानुसार आवंटन अधिकारी को मौके एवं रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए थी, यथा

13/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि मौके पर अपीलांट काबिज है तथा अपीलांट का आवंटन प्रभावी है जो नियमों में प्रकिया की पालना न कर अधी. न्यायालय द्वारा भारी विधिक भूल की है। अतः रेस्पों. का आवंटन Abinitio void होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का विश्लेषण किया, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :–

1. प्रकरण पूर्ण रूपेण दोहरे आवंटन का है जिसमें पहला आवंटन अपीलांट का है एवं पश्चातवर्ती आवंटन रेस्पों. का है। पश्चातवर्ती आवंटन पहले आवंटन के तथ्यों को रिकार्ड पर लिये बगैर बिना मौके एवं रिकार्ड की रिपोर्ट से किया है जो खारिज योग्य है।

2. अपीलांट का आवंटन दिनांक 09.06.2015 रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्रों में deny नहीं किया है जो आज दिनांक तक बरकरार होकर रिकार्ड में अमल दरामद योग्य है।

3. अपीलांट का पिता पोंग बांध निर्माण का सदभावी विस्थापित है बाबत विभिन्न न्यायिक निर्णयों में जो विवेचित है उसका सार रूप में पोंग बांध भारत सरकार की महती परियोजना होकर इसके विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें ही नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हुए निर्देशात्मक आदेश जारी किये हैं जिसमें आर.आर.डी.1985 पेज 430 में निर्देश प्रदान किये गये हैं कि :–

> Allotment in fabour of Pong dam oustee- canclation of ground that allottee not cultivaty land personly- if lands allotted to Pong Dam oustee for which sale prise fixed and instalment pail by the allottee are allowed to be cancelled on in adequate or after following defecting procedure it would result in serious allegation of not honouring commitment in aggrement between States of H-P and Rajasthan.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पैटीशन (सी) नं. 439 आफ 1992 निर्णित दिनांक 26.07.1996 प्रदेश पोंग बांध विस्थापित समिति एवं अन्य बनाम युनियन आफ इण्डिया अदरस में माननीय आनरेबल जस्टिस एस.पी.

14/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

बडोचा एवं एस.पी. मजमनूदार ने पोंग बांध की समस्या, समाधान, निदान के विस्तृत निर्देश दिये हैं जिनमें से इस अपील से संदर्भित सुसंगत अंश इस प्रकार है:–

Para 20-Residents of the state of Himachal Pradesh were ousted from their lands by the impounding of the waters. The State of Rajasthan agreed with the state of Himachal Pradesh to re-settle them. Twenty-four years later they are not all settled. Irrigable land,water, roads, schools and dispensaries and not available to all oustees allotted land is the state of Rajasthan.

Para 22- That the provisions of Rules 6(4),(5) and (6) have been nisused has been indicated in Rule 8-AAA itself and in the affifavit of the State of Rajasthan filed pursuant to the order of 22nd Febuary, 1996; Rules 8-AAA provides for the review of all orders of cancallation under Rule 6(4) where, subsequently, orders under Rule 8-AAA had been issued" except those orders which were passed after hearing the allottee in person."

-------------Rule 8-AAA states , as already noted, that a review was required because the oustee allottees had been deprived of allotments in breach of the provisions of natural justice.

Para 23- It is reasonable to assume that upon dispossession the oustee allottee would have retreated to his native state of Himachal Pradesh. It is manifestly absurd to expect him to read the Rajasthan Gazette and make a review application under the provisions of Rule 8-AAA within 60 days of its publication.

Para25- We have drawn attention to the broad sweep of the prayers of the writ petion. Mr. Aruneshwar Gupta has also invited us to give appropriate directions. We think that directions are necessary if the oustees are to get their due; We are left in no doubt that the state of Rajasthan has disfavoured them and favoured the Rajasthan and has made rules and implemented them with that in mind.

पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को एक अन्य दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। पोंग बांध विस्थापितों को राजस्थान सरकार द्वारा जो भूमि आवंटित की गई वह उनको मुआवजे के रूप में आवंटित की गई थी। इनकों किये गये आवंटन में त्रुटियां ढूंढकर इनका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। ए.आइ.आर.1995 राज. पेज 211 के न्यायिक दृष्टांत निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है:

Para 29-30:- The matter can also be looked into yet from her angle. The aim and object of allotment appear to be the resettlement and rehabilitation of the oustee. Since their valuable lands, homes and huts had been acquired for the purpose of

13/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

construction of Pong Dam and they were on road, it was under these circumstances , under the provisions of the land Acquisition Act they were rehabilitated in the State of Rajasthan and lands were allotted to them. How can, thus , the provisions made in these rules have the effect of nullifying the provisions of the land Acquisition Act which is a Central Legislation. The rules, thus , wherever they go inconsistent with the provisions of the Land Acquisition Act it would be the Provisions contained in the Central Act which would prevail.Thus, no fault can be found in the allotments made to each of these Petitioners and moreover we would not like to unsettle the things which have been settled after due deliberations as back as in 1966 and the allotment was made for consideration which according to the petitioners have been fully made up.

For the reasons recorded above, these writ petitions are allowed the impugned orders are quashed and it is held that the land was rightly allotted to each of the petitioners. The proceedings initiated for cancellatio of the allotment and consequential orders are hereby struck down as wholly illegal and un warranted.

पोंग बांध विस्थापितों को पुनर्वास करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता (commitment) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों व प्रस्तुत न्यायिक सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पौंग बांध विस्थापितों के मामलों में सहानुभूति एवं उदारता का रूख अपनाया जाना चाहिए तथा उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। रेस्पों. के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.04.2016 के परिप्रेक्ष्य में पात्रता व अन्य शर्तें पूरी होने पर व आवंटन अधिकारी के समक्ष अन्यत्र विवाद रहित भूमि आवंटन का आवेदन पेश करने के विकल्प को खुला रखते हुए अधी. न्यायालय के एक ही दिन 29.02.2016 के दोनों ही आदेश अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर